13

कोयला खानों में सुरक्षा

कोयला खनन, दुनिया भर में, कई अंतर्निहित, परिचालन और व्यावसायिक जोखिमों की उपस्थिति के कारण एक उच्च विनियमित उद्योग है। भारत में कोयला खान सुरक्षा कानून व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (ओएचएस) सुनिश्चित करने के लिए सबसे व्यापक और विस्तृत सांविधिक ढांचे में से एक है। इन सुरक्षा संविधियों का अनुपालन अनिवार्य है और जिसके कार्यान्वयन की कई स्तरों पर बारीकी से निगरानी की जाती है।

1. "कोयला और लिग्नाइट खानों में सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन लेखा परीक्षा" पर दिशानिर्देश

- सुरक्षा स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली लेखा परीक्षा का फोकस व्यक्तिगत–संचालित होने के स्थान पर प्रणाली संचालित है और अनुपालन–उन्मुख होने के स्थान पर जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों पर आधारित है अर्थात जोखिम को स्वीकार्य स्तर पर और जहां तक संभव हो जोखिम को कम किया जाना (एएलएआरए) सुनिश्चित करने के लिए खतरों की पहचान और जोखिम का आकलन तथा नियंत्रण का कार्यान्वयन।

- भारतीय कोयला खानों में जोखिम–आधारित सुरक्षा प्रबंधन की वर्तमान प्रणाली के अप्रभावी कार्यान्वयन का एक कारण नियमित अंतराल पर एसएमपी की लेखा परीक्षा के लिए उपयुक्त कार्यतंत्र या प्रक्रियाओं की कमी है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, कोयला मंत्रालय ने सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 14 दिसंबर 2023 को खान प्रबंधन द्वारा अपनाई जाने वाली नियमित लेखा परीक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी किए। लेखा परीक्षा योग्य लेखा परीक्षकों द्वारा की जाएगी जो एसएचएमएस में अनुभवी हों और जिनके पास इस क्षेत्र का ज्ञान और अनुभव हो।

2. आपदा प्रबंधन योजना और संकट प्रबंधन योजना

- कोयला मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन योजना तैयार की है। डीएमपी आपदा प्रबंधन चक्र के सभी चरणों के लिए कोयला कंपनियों को एक रूपरेखा और दिशा प्रदान करता है। डीएमपी इस अर्थ में एक "गतिशील दस्तावेज" है कि आपदा प्रबंधन में वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों और ज्ञान के आधार को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर इसमें सुधार किया जाएगा। यह आपदा प्रबंधन (डीएम) अधिनियम 2005 के प्रावधानों, आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति में दिए गए मार्गदर्शन और स्थापित राष्ट्रीय पद्धतियों के अनुसार है। कोयला कंपनियां आपदा के प्रकार और पैमाने के आधार पर आपदा प्रभावित कोयला खानों में विभिन्न चरणों में आपदा प्रबंधन क्रियाकलाप करेंगी।

- साथ ही, वर्ष 2023–24 के लिए कोयला मंत्रालय की संकट प्रबंधन योजना तैयार की गई है और मंत्रिमंडल सचिवालय को प्रस्तुत की गई है। कोयला खानों (भूमिगत और ओपनकास्ट) में संकट की स्थिति में संकट प्रबंधन योजना लागू होगी। इस योजना के प्रयोजन के लिए, किसी भी दुर्घटना को उस स्थिति में संकट के रूप में माना जाएगा जब प्रभावित खान में उल्लिखित संकटपूर्ण घटना/दुर्घटना के द्वारा 10 या उससे अधिक व्यक्तियों की जान चली जाती है या उनके जीवन को खतरा होता है।